Debit Authority Letter for Post-Matric fee reimbursement

Provided by Social Welfare Department

(Mandate to debit the Account)

Name of the Bank, Syndicate Bank Syndicate Bank, Rama Dental College, Kanpur.

Customer Name: ....

Customer Account Number: ....

The Branch Head,
Syndicate Bank,
Sharda Nagar / RDC,
Kanpur

Dear Sir,

I irrevocably authorize Syndicate Bank, Sharda Nagar /Rama Dental College, Kanpur to debit my SB Account No: .... By `………………………/- only (.. only) provided by the State Government as reimbursement of fee under Scheduled Caste/scheduled Tribe post matric fee reimbursement scheme provided by Samaj Kalyan Department & remit this amount (20____-____) to Director, Dr. Ambedker Institute of Technology for Handicapped, U.P. Kanpur.

(Name of the institution) **Account No 86982150000025** maintained at Syndicate Bank, ..., Kanpur (Name of the Bank & Branch).

(in case the beneficiary account is with some other bank)

RTGS/NEFT (IFSC) CODE of the beneficiary Bank...

Name of the Bank & Branch: ...., Kanpur

I/We request you to make the above remittance. It is being understood that the remittance is to be sent at my/our risk and my/our responsibility and on the distinct understanding that no liability whatsoever is to attach to the Bank for any loss or damage arising or resulting from delay in transmission, delivery or non delivery of the message or for any mistake. I/We also hereby undertake to refund to bank any over remittance, which is made by mistake in beneficiary's account. I/We also understand that remittance would be made as per RBI, RTGS/NEFT Scheme.

Signature of the Customer

Name :...

Date :...

Place :...

Branch/Year/Category :...

सत्र : 2020-21

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक अनिवार्य रूप से कुल 2 प्रतियों में जमा किया जाना है।

1. Photo copy of High School & Intermediate mark sheet and Certificate with Board Verification (UP Board/CBSE/ICSE/others).
2. Photo copy of Income Certificate, Caste Certificate, Domicile Certificate with Verification by Board of Revenue website (www.bor.up.nic.in) and (http://edistrict.up.nic.in).
3. Search/Track Student Record, Status of application 2019-20 Certificate from SWD website. www.scholarship.up.nic.in
4. Father's employer's Certificate/Pension Receipt/pay slip/gram pradhan income certificate/ Ration Card with khatauni (for farmers).
5. Photo copy of Aadhar card of student, Father and Mother
6. Photo copy of Bank A/c Passbook (Only Syndicate Bank,Sharda Nagar/RDC lakhanpur).
7. Photo copy of Last year passing mark sheet or internet result copy verified by HODs.
8. If old students are filling online fresh application form SWD then affidavit is required regarding reason.
9. Photo copy of fee receipt of session 2020-21 (not applicable of SC / ST / Zero Fee students)
10. Self-attest all the enclosures.
11. UPSEE Counseling Letter (Photocopy) compulsory.
12. PAN Card of Father.

नोट–

1 – पाठ्यक्रम का नाम B.Tech. ही भरे अन्य पाठ्यक्रम सिलेक्ट न करे तथा एलॉटमेंट लेटर पर प्रदर्शित ब्रांच ही सिलेक्ट करें।

2 – आधार नं0 की जगह अन्य कोई आई0डी0 नही भरे तथा आधार नं0 को आवेदन पत्र पर दिये गये बैंक के माध्मय से खाते को लि क कराना भी अनिवार्य है।

3 – विश्वविद्यालय/बोर्ड पंजीयन संख्या के स्थान पर नवप्रवेशित छात्र एलाटमेंट लेटर पर प्रदर्शित एप्लीकेशन नं0 भरे एवं पुराने छात्र ए0के0टी0यू0 द्वारा प्राप्त इनरोलमेंट नं0 ही अनिवार्य रूप से भरे।

4 – आनलाइन आवेदन पत्र भरी गयी सभी प्रविष्टियों की जांच भलीभांति मूलप्रमाण पत्रों से कर ले त्रुटि होने की दशा में सम्पूर्ण दायित्व छात्र/छात्रा का होगा।

5 – नान रिफण्डेबल अनिवार्य वार्षिक शुल्क –

I/II Lateral Entry	**:**	**Rs. 74,300/-**
I/II Lateral Entry (PH)	**:**	**Rs. 59,300/-**
II Year	**:**	**Rs. 74,000/-**
II Year (PH)	**:**	**Rs. 59,000/-**
III/IV Year	**:**	**Rs. 69,000/-**

6 – एस0सी0/एस0टी0 के छात्र/छात्राओं को 100 रूपये के नानज्यूडीशियली स्टाम्पपेपर पर अनुबंध पत्र तैयार कर जमा कराना अनिवार्य है तथा एक घोषणा पत्र (सभी जाति वर्गो के लिये) भी जमा किया जाना है। जिसका प्रारूप कालेज की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र
समक्ष
संस्थाध्यक्ष

मै...पुत्र/पुत्री श्री...को ग्राम...............................मुहल्ला........................ जनपद...का निवासी हूँ, निम्नलिखित बयान करता हूँ–

1 – यह कि मै ग्राम ....मुहल्ला,...............................तहसील..........................जिला.........................उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (आय/जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)

2 – यह कि मै उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति का हूँ। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)

3 – यह कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त श्रोतो से वार्षिक आय रूप्ये दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

4 – यह कि सम्प्रति मै...............................शैक्षिक संस्थान के ....पाठ्यक्रम में............ वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत् हूँ। संस्था ....विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यताप्राप्त है।

5 – यह कि मैने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा।

6 – यह कि मैने पिछली परीक्षा ....वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से घोषणा पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।

7 – यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नही मिल रही है।

8 – यह कि मेरा बचत खाता संख्या ....बैंक ....के ....शाखा में खुला हुआ है।

9 – यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे निःशुल्क/सशुल्क प्रवेश दिया गया है।

उक्त घोषणा पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी मे है। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है।

दिनांक :

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर.....................

नाम..

पिता/पति का नाम...............................

पता..

नोट– समाज कल्याण विभाग द्वारा सत्र 20 – हेतु यह व्यवस्था निर्धारित की गयी है कि छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रृटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ण अनुमन्य नही होगी। साथ ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति केवल शासन के पास बजट की उपलब्धता पर ही देय होगा।

पिता/पति के हस्ताक्षर :..

पिता/पति का नाम :..

विज्ञापन 2020–21

भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण प्रतिवर्ष बजट की उपलब्धता की सीमा तक नियमावली में निर्धारित प्राविधानों व वरीयताओं के अनुसार किया जाता है। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) संस्थान–केवल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिये) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों आदि का विवरण केवल आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की अनिवार्य व्यवस्था वर्तमान में लागू है। अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को ही वर्तमान में यह सुविधा प्रदान की गयी है। वर्ष 2020–21 में व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित है:–

1– छात्र अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिये अथवा छात्रवृत्ति सम्बन्धी किसी भी जानकारी हेतु अपने जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिये)/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी (पिछडा वर्ग के लिये)/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (अल्पसंख्यक वर्ग के लिये) से ही सम्पर्क करें।

2– शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत स्वयं आनलाइन आवेदन किया जायेगा। मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यकमों आदि को सम्मिलित करने हेतु समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि (वाह्य प्रदेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक)के बाद कोई भी आनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

3– मास्टर डाटाबेस में वही शिक्षण संस्थान/विद्यालय सम्मिलित हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यकमों की मान्यता/सम्बद्धता दिनांक 15 जुलाई 2020 तक प्राप्त हो चुकी होगी।

4– मास्टर डाटाबेस में जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के नाम पहले से शामिल हैं, उन्हें भी शैक्षणिक वर्ष 2020–21 हेतु अपने शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त विवरण पूर्व में प्रदान किये गये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से आनलाइन भर कर मास्टर डाटाबेस में अद्यतन (Update) करते हुये डिजिटल हस्ताक्षर से लाक करना होगा। शिक्षण संस्थान अपने यहां असंचालित पाठ्यकम को लाक नहीं करेगें तथा नवीन पाठ्यकम को मास्टर डाटा में जोड़कर एवं सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क को अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से लाक करेगें। शिक्षण संस्थान द्वारा शुल्क के सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेश भी वेबसाइट पर यथास्थान अपलोड किया जायेगा।

5– शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर, ई–मेल, पैन नम्बर तथा आधार नम्बर भी वेबसाइट पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। मास्टर डाटा में अंकित किये गये विवरण तथा अपलोड किये गये अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक तथा नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से किया जाना अनिवार्य होगा।

6– सभी संस्थान अपने यहां अध्ययनरत छात्र का अनिवार्य रूप से आधार नम्बर बनवाना एवं नामांकन संख्या (प्रथम वर्ष को छोडकर) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। कोई भी आवेदन बिना आनलाइन आधार सत्यापन के भरा नहीं जा सकेगा तथा आधार सीडेड बैंक खाता होने पर ही धनराशि का अंतरण सम्भव हो सकेगा।

7– मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त नये शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों को वेबसाइट के इंस्टीटयूट सेक्शन में जाकर स्वयं निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर आनलाइन आवेदन करके जिला समाज कल्याण अधिकारी से लागिन एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

8– प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) शिक्षण संस्थानों को समय–सारिणी में निर्धारित अन्तिम तिथि तक समस्त अभिलेखों के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचनाओं को निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित करना होगा एवं छात्रवृत्ति वेबसाइट पर निर्धारित लागिन से स्वयं आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होना होगा।

प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उनके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित ई मेल पर दिया जायेगा। संस्थायें आवेदन पत्र भरते समय सही और कार्यरत ईमेल एड्रेस ही दें।

लागिन एवं पासवर्ड प्राप्ति हेतु संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्धारित प्रकिया अनुसार आवेदन करना होगा। वाह्य प्रदेश स्थित संस्थान मास्टर डाटा में नाम सम्मिलित करने हेतु किसी भी समस्या के लिये दूरभाष संख्या 09621650064 (प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक) पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं।

9– प्रदेश के बाहर केवल शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) संस्थानों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय है। प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त अभिलेखों के साथ रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से तथा आवेदन पत्र को स्कैन कर ई–मेल– dd.dir3.sw@dirsamajkalyan.in पर 31 अगस्त 2020 तक उपलब्ध करानी होगी।

10– प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) सभी शिक्षण संस्थानों को लागिन आई डी एवं पासवर्ड मिलते ही समय–सारणी में निर्धारित अन्तिम तिथि तक अपने शिक्षण संस्थान की समस्त सूचनाएं एवं सक्षम स्तर से निर्धारित फीस स्ट्रक्चर निर्धारित पोर्टल पर आनलाइन भर कर एवं यथास्थान उसकी स्कैन कापी अपलोड करके उसे लाक करना होगा।

11– मास्टर डाटाबेस में उक्त प्रकिया अनुसार जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों का नाम निर्धारित तिथि तक सम्मिलित व डिजिटली हस्ताक्षरित होगा एवं

सत्यापन/जांचोपरान्त सही पाया जायेगा, उन्हीं शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के संस्थागत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित छात्रों को नियमावली के प्राविधानों एवं वरीयताओं के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी।

12— जनपद के बैंक, बैंक शाखाओं के नाम एवं उनके आई0एफ0एस0 कोड को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित करने हेतु बैंक मास्टर को अद्यतन करने के लिये एवं प्रेषित पाठ्यकमों के मास्टर डाटा में पाठ्यकम सम्मिलित करने, परिवर्तन करने या अन्य कार्यवाही हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अपना अनुरोध निदेशक समाज कल्याण को निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रेषित करना होगा। मास्टर डाटा में बैंक, बैंक शाखा तथा आई0एफ0एस0 कोड एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निदेशालय स्तर से अद्यतन **(Update)** कराया जायेगा। समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनके जनपद में स्थित कोई भी बैंक/बैंक शाखा/बैंक शाखा का आई0एफ0एस0 कोड मास्टर डाटा में छूटने न पाये।

13— मास्टर डाटाबेस में नवीन संस्थाओं के सम्मिलित होने के लिए बाह्य प्रदेश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रदेश के भीतर एवं वाह्य प्रदेश हेतु इंस्टीट्यूट सेक्शन में लिंक वेबसाइट **https://scholarship.up.gov.in** पर उपलब्ध है।

14— छात्र अपने आवेदन पत्र की स्थिति वेबसाइट पर उपलब्ध स्टेटस आप्सन के सम्बन्धित वर्ष में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि डालकर जान सकते हैं।

15— छात्रों को आनलाइन आवेदन करने के लिये छात्रवृत्ति वेबसाइट पर आनलाइन डेमो वीडियो उपलब्ध है, जिससे छात्र सहायता ले सकते हैं। छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिये ग्रीवान्स रिड्रेसल सिस्टम भी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसकी सहायता ली जा सकती है।

16— ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्रदत्त पाठ्यकमों को संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाओं को एन0बी0ए0 ग्रेडिंग होना आवश्यक है, इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय को नैक ग्रेडिंग—बी अथवा उससे उपर होना आवश्यक है। उक्त दोनो ग्रेडिंग को अंकित करने की व्यवस्था मास्टर डाटा में उपलब्ध है।

उक्त के अतिरिक्त सभी संस्थायें (प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर स्थित) छात्रवृत्ति नियमावली में दिये गये विभिन्न नियमों का भली भांति अध्ययन करने के उपरान्त ही नियमावली में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार पात्र छात्रों का आवेदन पत्र अग्रसारित करें।

17— संस्था एवं छात्र वर्ष 2020—21 की पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं की समय—सारिणी, वर्तमान नियमावली, पूर्व नियमावली एवं विभाग द्वारा समय—समय पर दी जाने वाली सूचनाओं को वेबसाइट **https://scholarship.up.gov.in** के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं।

(पी० के० त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक मु०

24.8.20
निदेशक
समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश।

सिद्धार्थ मिश्र
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय

छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1—छात्र क्या करें:—

- ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्रदत्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु एन0बी0ए0 ग्रेडिंग होना आवश्यक है, इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नैक ग्रेडिंग—बी अथवा उससे उपर होना आवश्यक है। उक्त दोनो ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पाने हेतु पात्र होगें। छात्र प्रवेश लेते समय संस्थान की उक्त ग्रेडिंग को अवश्य देख लें।
- छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थान में जमा की गयी शुल्क की रसीद, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन कमांक, आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख अपने पास एकत्रित कर लें।
- हाई—स्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण—पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का ही उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक है। कक्षा 9—10 के छात्र भी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में अंकित किये गये नाम एवं जन्म तिथि का मिलान उसी तरह से आधार कार्ड में अंकित की गयी प्रविष्टियों से हो सके। कक्षा 9—10 के छात्र अपनी जन्म तिथि सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंकित करें तथा तद्नुसार आधार कार्ड को अपडेट करायें।
- बिना आधार नम्बर के छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाना सम्भव नहीं होगा। आधार नम्बर का डेमोग्रेफिक वेरीफिकेशन (नाम एवं जन्म तिथि का मिलान) होने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को आनलाइन टेम्पेरेरी लाक कर सकेगा।
- छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लाक करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा— हाईस्कूल/इण्टरमीडियट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण—पत्र का कमांक एवं आवेदन का कमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यकम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यकम एवं पाठ्यकम का प्रकार, आय प्रमाण—पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड एवं खाता संख्या, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच कर लें तदोपरान्त ही छात्र अपने आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करें।
- सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सबमिट करें।
- आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगें, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण—पत्र कमांक एवं आवेदन कमांक, आय तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडियट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट **(Submit)** करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।
- संस्थान द्वारा छात्र का आनलाइन आवेदन अग्रसारित करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्थान उस छात्र का आवेदन वापस कर सकेगा, लेकिन ऐसे आवेदनों को 07 दिन के भीतर छात्र को सही करके संस्थान से अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य होगा।
- अनिवार्य वार्षिक शुल्क (**Non Refundable fees**) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।
- नवीनीकरण के छात्र आवेदन पत्र भरने के लिये समय सारिणी में निर्धारित समयावधि एवं अन्तिम तिथि से पूर्व ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित संस्था में जमा करना सुनिश्चित कर लें एवं प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें जिससे कि नवीनीकरण के पात्र छात्रों को दिनांक 02 अक्टूबर 2020 तक छात्रवृत्ति की धनराशि दी जा सके।

- नवीन एवं नवीनीकरण श्रेणी के अवशेष छात्र समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि की सीमा के अन्तर्गत ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित संस्था में जमा करना सुनिश्चित कर लें एवं प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। छात्र यह भी सुनिश्चित कर लें कि संस्थान द्वारा समय–सारिणी में दी गयी निर्धारित समयावधि में ही आवेदन पत्र अग्रसारित कर दिया जाय।
- आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से सीडेड हो, भरना अनिवार्य है क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नम्बर से जुड़े बैंक खाते में ही हो पायेगा। आधार नम्बर देने तथा उसकी सीडिंग बैंक खाते में कराने से **KYC (Know your customer)** भी पूर्ण हो जाती है। अपनी बैंक शाखा में **KYC (Know your customer)** फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें। अपना बचत बैंक खाता संचालित रखें, उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की लिमिट छात्रवृत्ति एव शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक हो, इसे सुनिश्चित कर लें। यह भी ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क की धनराशि आने तक आपका खाता पूर्ण रूपेण संचालित रहे अर्थात बन्द न हो।
- बचत बैंक खाता संख्या (**CBS**) एवं **IFSC** कोड को भलीभांति जांच लें। अपनी बैंक शाखा का सही रूप से चयन करें। गलत बैंक शाखा/खाता संख्या या बिना आधार सीडेड खाता संख्या भरने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा।
- छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल (**Non refundable**) फीस, मोबाइल नम्बर, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन कमांक, आधार नम्बर, बचत बैंक खाता संख्या व **IFSC** कोड आदि भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।
- सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यकम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (**GOVT**) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (**AIDED**) संस्थानों में पाठ्यकम, पाठ्यकम के प्रकार (नियमित (**Regular**)/स्ववित्त पोषित (**SELF FINANCE**) व उसके वर्ष का अंकन सही–सही ध्यानपूर्वक करें। छात्र/छात्रा विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंकन अवश्य करें।
- छात्र/छात्रा मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आईडी स्वयं का ही दें।
- वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय–सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु **https://scholarship.up.gov.in** पर समय–समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली–भांति पालन करें एवं समय–सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लघंन कदापि न करें अन्यथा आप वरीयता में नीचे चले जाने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क पाने से वंचित हो सकते हैं।
- छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लागिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/वापस करने/रिजेक्ट करने पर आपके मोबाइल पर एस0एम0एस0 भी भेजा जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि संस्थान द्वारा आपका आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित हो जाय।

<u>2–छात्र क्या न करें।</u>

- शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा– आधार नम्बर,हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा (**Share**) न करें।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
- अनुत्तीर्ण (**Fail**) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन न करें। छात्र वार्षिक परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर का परीक्षाफल प्रकाशित होने पर) का परीक्षाफल प्रकाशित न होने पर अगली कक्षा हेतु आवेदन पत्र में **Result Yet Not Declared** का आप्सन भरकर आवेदन कर सकेगें। **Result Yet Not Declared** से सम्बन्धित छात्र का आवेदन प्रत्येक दशा में संदेहास्पद डाटा के रूप में प्रदर्शित होगा तथा छात्र का परीक्षा फल सन्देहास्पद डाटा को सही करने की दी गई समयावधि में छात्र द्वारा पूर्ण करके आवेदन को फाइनल करना होगा तथा संस्था को भी परीक्षा परिणाम की पुष्टि करते हुए समयान्तर्गत अग्रसारित करना होगा। सन्देहास्पद डाटा को सही करने की अन्तिम तिथि तक परीक्षाफल घोषित न होने पर

ऐसे डाटा को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दी जायेगी अर्थात डाटा को जनपद स्तर पर रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

- शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।
- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। यदि छात्र द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र का आधार नम्बर, हाई–स्कूल रोल नम्बर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण–पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र एवं संस्था के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि छात्र का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से आनलाइन देना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में आनलाइन उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (REJECT) कर दिया जायेगा।

25.8.20.

निदेशक
समाज कल्याण

(पी० के० त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक मु०

सिद्धार्थ मिश्र
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय

SPECIMEN COPY.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DM 151836

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक पत्र आज दिनांक 05/01/2017 को (1) कु0/श्रीमती/श्री. Jay Singh जाति अनुसूचित जाति निवासी ग्राम/मु0 अकबराबाद, डाकखाना मुसानगर तहसील भोगनीपुर जिला कानपुर देहात, जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2) निदेशक/प्राचार्य, पता:– Prof. J. P. Saini, Dr. AITH. Kanpur जनपद कानपुर नगर, जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है। उनके मध्य निष्पादित किया गया जाता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तों आदि दशोमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना (तृतीय संशोधन) नियमावली 2014 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनो पक्ष निम्नलिखित शर्तों का स्वीकार करते है:–

1. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशोमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा।
2. प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने पर निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेग एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर रसीद देगा।
3. द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृत हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
4. प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसाद देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष में अन्तरित कर देगा।
5. प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एव द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
6. प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों का छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभागी करेगा।

उत्तर प्रदेश दशोमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को संस्था को देय समस्त शुल्क वहन का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष : हस्ताक्षर Jaysingh	द्वितीय पक्ष : हस्ताक्षर ....
नाम Jaysingh	नाम व पदनाम ....
पिता/पति का नाम Ramsevak	पिता/पति का नाम ....
पता Akbrabad Moosanagar kanpur Dehat	पता ....

साक्षी सं.1	साक्षी सं.2
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ....
नाम	नाम व पदनाम ....
पिता/पति का नाम	पिता/पति का नाम ....
पता	....

GOVT. NOTARY UTTAR PRADESH KANPUR (U.P.) Regd. No. 67(14)

...whom before me this day ... whom ... contents of this affidavit have been read over and explained which is ... identified by Sri ......

M. N. Srivastava Advocate
Govt. Notary Kanpur

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांकः /स0क0/द0छा0/ 2019–20 दिनांकः 05 फरवरी 2020

समस्त शिक्षण संस्थान,
जनपद कानपुर नगर।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश पत्र सं0 सी–4630 दिनांक 03 फरवरी 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 से भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर का ऑथन्टिकेशन होने के पश्चात् ही आन लाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम पिता/पति का नाम, लिंग व जन्मतिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आन लाइन किया जायेगा तथा आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त ही छात्र द्वारा आवेदन पत्र सब्मिट किया जा सकेगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकता है अतः छात्र प्रत्येक दशा में गलत विवरण को आधार कार्ड कार्यालय से शुद्ध करा लें। साथ ही समस्त छात्रों को आधार कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाने हेतु निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1. सभी छात्रों के पास छात्रवृत्ति आवेदन करते समय आधार नम्बर उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्रों के पास आधार नम्बर नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
2. जिन छात्रों के पास आर्ड कार्ड उपलब्ध है। तत्क्रम में आधार कार्ड को अपने मोबाइल नम्बर से लिंक करा लें।
3. हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अंकित अपने नाम तथा अपने माता–पिता/पति का नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता/पति का नाम अपडेट करा लें।
4. हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लें।
5. आधार कार्ड में यदि लिंग(जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लें।

यदि कोई छात्र अपना आधार अपडेट नहीं कराता है तो आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में छात्रवृत्ति हेतु आन लाइन आवेदन नहीं कर सकेगा, जिसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

समस्त शिक्षण संस्थायें उपरोक्त सूचना पम्पलेट/नोटिस बोर्ड/डिजीटल डिसप्ले पर प्रदर्शित करें तथा छात्रों की ई–मेल आई0डी0/वहाट्सअप पर सूचित करें।

(अमर जीत सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
कानपुर नगर।

पृठांकन संख्या एवं तद्दिनांकः– 4826-30
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
4. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
कानपुर नगर।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कपूर्ति प्रणाली, उत्तर प्रदेश सत्र .... में अध्यनरत् छात्र/छात्राओं की सामान्य विवरण।

1	शिक्षण संस्थान का नाम	
2	वर्ग/जाति समूह (SC/ST/PH)	
3	छात्र/छात्रा का नाम	
4	पिता/पति का नाम	
5	माता का नाम	
6	लिंग	
7	जन्मतिथि	
8	हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष/बोर्ड	
9	अनुक्रमॉक हाईस्कूल बोर्ड	
10	मोबाइल नम्बर	
11	स्थायी पता	
12	पत्र व्यवहार का पता	
13	परिवार के सभी श्रोतों से वार्षिक आय (रू0)	
14	आय प्रमाण–पत्र का क्रमॉक (तहसील से जारी) एवं तिथि	
15	जाति प्रमाण–पत्र का क्रमॉक	
16	निवास प्रमाण–पत्र का क्रमॉक	
17	धर्म	
18	बैंक का नाम	
19	शाखा (IFSC Code)	
20	बैक खाता संख्या	
21	पाठ्यक्रम का नाम/वर्ष/अवधि/प्रकार	बी0टेक
22	विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीकरण क्रमॉक	
23	विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	
24	द्विव्यॉग (यदि किसी प्रकार)	
25	द्विव्यॉगता (%)/द्विव्यॉगता भत्ता (रू0)	
26	अनुमोदित वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क (रू0)	
27	गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि	
28	गत वर्ष का परीक्षाफल/पूर्णाक/प्राप्तॉक	
29	आधार संख्या/पहचान पत्र संख्या	
30	छात्र द्वारा जमा किये गये शुल्क की रसीद संख्या/दिनॉक/धनराशि (रू0)	

PTO.......

घोषण–पत्र

मै ....पुत्र/पुत्री श्री..सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गयी सभी जानकारी और प्रविष्टियॉ सही और सत्य है, साथ ही साथ मै यह भी घोषणां करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रणाली उत्तर प्रदेश scholarship.up.nic.in की वेबसाइट एवं संस्थान के सूचना पट्ट का निरन्तर अवलोकन करता रहूँगा/रहूँगी एवं आन लाइन आवेदन करते समय छात्रवृत्ति फार्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि की समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्धारित समय सीमा मे अन्दर अपना आन–लाइन आवेदन सबमिट करने के उपरान्त सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ संस्थान के डिग्री संकाय (छात्रवृत्ति विभाग) में जमा करूँगा/करूँगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। यदि समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश से शुल्क प्रतिपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त नही होती है तो मेरे द्वारा पाठ्यकम का सम्पूर्ण शुल्क संस्थान में जमा करूंगा/करूंगी।

अभिभावक के हस्ताक्षर......................................

दिनॉक...

स्थान...

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर...

पाठ्यकम का नाम..

मोबाइल नम्बर...